

चतारीख हुप

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2006/2076

खण्ड-पीठ

श्री राम दयाल मीणा, सदस्य

डॉ० महेन्द्र लोढा, सदस्य

दिनांक:- 11.09.2025

वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाजेँ लगवायी गयी। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। पत्रावली अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० महेन्द्र लोढा)
(सदस्य)

(राम दयाल मीणा)
सदस्य